Goyal Charities Association

10 Y N Road,
Behind Ankur Hospital,
Indore – 452 003.
Tel : 91-731-4040232.
E-Mail : goyalraj@yahoo.com

दिनांक: १५-०४-२०१८

"सामाजिक एवं पारमार्थिक संगठनो पर लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST)" पर गोष्ठी

शुक्रवार, दिनांक ०४ मई २०१८

हमारी संस्था द्वारा इंदौर के समाजिक एवं पारमार्थिक संगठनों(NGOs) के सशक्तिकरण के लिए ज्ञान एवं जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

इसी श्रंखला में "GST" विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. इस गोष्ठी में विषय से सम्बंधित विद्वानगण द्वारा उद्बोधन एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा रखी गई है.

इस संगोष्ठी में प्रतिभागियों हेतु स्थान सीमित है, कृपया अपनी शीघ्र स्वीकृति देकर स्थान सुरक्षित करें.

गोष्टी पूर्णत: नि:शुल्क है.

कार्यक्रम रुपरेखा :

दिनांक : ०४-०५-२०१८, शुक्रवार

समय : शाम ५ से ७ बजे

स्थान : दुआ सभागृह, एम जी रोड इंदौर

संलग्न : विषय संबंधी जानकारी

सीए राजेंद्र गोयल
(अध्यक्ष)

गोयल चैरिटीज एसोसिएशन

“GST की संक्षिप्त जानकारी”

GST एक नवीन, व्यापक तथा अप्रत्यक्ष कर कानून है जो कि विक्रय कर, Excise Duty, Service Tax इत्यादि अनेक कानूनों के बदले पूरे देश में एक जैसा ०१ जुलाई २०१७ से लागू किया गया है.

सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि GST कानून सामाजिक, धार्मिक एवं परमार्थिक सेवा संस्थाओं पर लागू नहीं होता है. यह एक भ्रम है तथा यह कानून कुछ विशेष प्रावधानों सहित सभी NGO’s पर लागू होता है. इतना ही नहीं, ऐसी संस्थाएं जो भी वस्तु या सेवा का उपयोग करती है, उस पर दिए गए प्रतिफल के संबंध में भी बहुत सारे क़ानूनी प्रावधान एवं प्रकियाओं का पालन करना अनिवार्य है. यदि ये प्रकियाएं पूरी नहीं की गयी तो अनेक दण्ड सुनिश्चित किए गए है. साथ ही ऐसी संस्था को यह समझना भी जरुरी है कि उसके द्वारा खरीदी पर दिया जाने वाला GST सही है.

दिनांक ०४ मई २०१८ को होने वाली गोष्ठी में उक्त सभी क़ानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा होगी तथा प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जबाव भी विषय में पारंगत विद्वानों द्वारा दिए जायेंगे.